

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.603 OF 2024

News Item Titled “अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जेसीबी समेत 9 ट्रैक्टर ट्रॉली
किए गए हैं जब्त” appearing in chandaulisamachar.com dated 13.04.2024

I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Status report on behalf of DM Chandauli	
2.	Annexure R-1 Photocopy of the letter dated 16.04.2024 Sent to District Magistrate Chandauli	
3.	Annexure R-2 Photocopy of letter date 29.12.2025 sent by Mining Officer Chandauli to Regional Officer U.P.C.B.	
4.	Annexure R-3 Photocopy of Officer Memorandum dated 02.01.2026	
5.	Annexure R-4 Photocopy of letter dated 09.01.2026 Sent by Mining Officer Chandauli to Regional Officer U.P. C.B.	

653

6. Annexure R-5
Photocopy of letter date 10.01.2026 sent
By the above Committee to the
District Magistrate Chandauli

Filed by



[MUKESH VERMA]
Advocate for the UKPCB
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi 110 001
(M) 9810108098

E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 13.01.2026

654

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES




INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S.N. 194 YEAR 2016

46AA 583162



[A large, loopy handwritten signature in blue ink.]

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.603 OF 2024

S.N. 124/2024

News Item Titled "अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जेसीबी समेत

9 ट्रैक्टर टॉली किए गए हैं जब्त" appearing in


chandaulisamachar.com dated 13.04.2024

STATUS REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.4

DISTRICT MAGISTRATE CHANDAULI

I, Chandra Mohan Garg, aged 36 years, S/o Shri Om Prakash Garg presently posted as District Magistrate, Chandauli, UP do hereby solemnly affirm and state as under:-


1. That the deponent, working in above capacity is fully conversant with the facts and circumstances of the case as such the deponent is competent to swear in the present affidavit on behalf of respondent No.4 District Magistrate Chandauli.
2. That in the aforesaid Original application which was registered suo motu, this Hon'ble tribunal is considering the issue of illegal mining in Chandauli District of Uttar Pradesh. The aforesaid O.A. was listed before this Hon'ble



[Handwritten signature]


Tribunal on 10.10.2025 whereby this Hon'ble Tribunal had directed the respondent no.4 District Magistrate Chandauli to appear virtually on the next date of hearing and assist the tribunal.

3. That in the checking conducted on 09.04.2024 in the district, within the different areas of Kotwali Mughalsarai vehicles involved in illegal mining/ transportation were caught, details of which are (1) JCB Vehicle Chassis No.HAR30YSSAZ8071312 (2) Sonalika Tractor- Chassis No. HZQSG747835SN (3) Power track tractor chassis No.T053679866HM (4) Tractor Chassis No.T053550541BK, D10683010, D10683041, D104365108, D10926200 and within the area of police station Kotwali Alinagar one tractor being (1) tractor Chassis No.102085508, D02085508 was caught and the above vehicles involved in illegal mining /transportation were handed over to concerned police stations. Photocopy of letter dated 16.04.2024 sent by Sub Divisional Magistrate Chandauli to District Magistrate Chandauli is annexed herewith and marked as ANNEXURE R-1 (pg. No. to).



4. That the Mining Officer Chandauli vide its letter dated 29.12.2025 vide order dated 27.05.2024 passed by this Hon'ble tribunal on above news article had informed to Regional Officer Uttar Pradesh Pollution Control Board that in the checking conducted on 09.04.2024 from various area of Tehsil the vehicles involved in illegal mining/transportation were caught and handed over to concerned police station, in regard to which for 4 vehicles (1 JCB and 3 tractor) complaint has been filed in the court of Chief Judicial Magistrate Chandauli the details of vehicles are as follows:-

Sl No.	Vehicle No.	Name of vehicle owner	Address of vehicle owner
1	T053679866HM	Shri Anil Kumar Yadav son of Shri Lalman Yadav	R/o village Kunda Khurd, P.S. Mugalsarai Tehsil Pt. Deen Dayal Upadhaya Nagar, District Chandauli
2	UP 63 AF 9535 Ch. No. HZQSG747835 SM	Smt. Manti Devi wife of Shri Krishna Nanad	R/o village Susmi, P.S. Chunar, District Mirzapur



[Handwritten Signature]

3.	UP 67 AF 2025 Ch. No. T053550541BK	Shri Santara Devi W/o Shri Lalman Yadav	R/o village Kunda Khurd, P.S. Mugalsarai Tehsil Pt. Deen Dayal Upadhaya Nagar, District Chandauli
4.	UP 67 AT 3483 HAR30YSSAZ 8071312	Shri Lalman Yadav s/o Shri Phool Chandra	R/o village Kunda Khurd, P.S. Mugalsarai Tehsil Pt. Deen Dayal Upadhaya Nagar, District Chandauli

Photocopy of letter dated 29.12.2025 sent by Mining Officer Chandauli to Regional Officer Uttar Pradesh Pollution Control Board is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-2** (pg. No. to).

5. That since the information about action taken against above four vehicles were already filed before this Hon'ble Tribunal but the information about remaining vehicles were not available, hence the District Magistrate Chandauli by its office memorandum dated 02.01.2026 had constituted 06 members committee in the




[Handwritten signature]

Chairmanship of Additional District Magistrate (Judicial) Chaudauli for conducting inquiry in aforesaid case in regard to remaining vehicles and submit its report within 03 working days to the district Magistrate Chaudauli. Photocopy of Office Memorandum dated 02.01.2026 is annexed herewith and marked as ANNEXURE R-3 (pg. No. to).


6. That the above committee conducted physical inspection of vehicles/tractors standing in concerned police stations and during such inspection the vehicles which were found standing in concerned police station (Mugalsarai) details thereof were collected. Such details about the remaining 05 vehicles were forwarded by the Mining officer Chaudauli vide its letter dated 09.01.2026 to the Regional Officer U.P. Pollution Control Board which are as follows:-

Sl No.	Vehicle No.	Name of vehicle owner	Address of vehicle owner
1.	WXTE3042714 1138 Registration No. UP 65CA 2066	Vijendra Yadav son of Lallu Yadav	R/o Village Chaturbhujpur, Mugalsarai Distt. Chaudauli
2.	T052293846CG	Sikander	R/o village



Du

	Registration No. UP67X7756	Pratap Yadav s/o Shri Ganga Yadav	Saresar, Post Alampur, Tehsil Sakaldiha, District Chandauli
3.	T53383268AG Registration No. UP67X5457	Sunil Kumar Rai s/o Shri Ram Chandra	R/o village Hinoli, P.S. Mugalsarai, District Chandauli
4.	RFBH02657 Registration No.UP67N0467	Shri Jiut son of Shri Ramdhari	R/o 147 Bahadurpur, P.S. Mugalsarai, District Chandauli
5.	UP 67AF 6264 CH No. AA2061514641	Shri Rakesh son of Pyarelal	R/o village Barhuli Janso Ki Madai, District Chandauli



Photocopy of letter dated 09.01.2026 sent by Mining Officer Chandauli to Regional Officer U.P. Pollution Control Board is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-4** (pg. No. to).


7. That the above committee vide its letter dated 10.01.2026 had informed to the District Magistrate about the details of aforesaid vehicles collected during physical inspection of

[Signature]

vehicles standing in concerned police station. Photocopy of letter dated 10.01.2026 sent by the above committee to the District Magistrate Chandauli is annexed herewith and marked as ANNEXURE R-5 (pg. No. to).

8. That apart from above the District Administration is taking all necessary steps to prevent illegal mining/transportation in the district so that effective control could be imposed on illegal mining in the district. It is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to take on record the aforesaid status report on behalf of answering respondent and pass such other and further orders as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice.

9. That the facts stated in the above affidavit are true and correct as per my personal knowledge and belief. No part of same is false and nothing material has been concealed therefrom.




Deponent

VERIFICATION:-

Verified at New Delhi this the ___ day of January, 2026 that the contents of above affidavit are based on information derived from official record hence, the same are true and correct as per



my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Deponent

Filed by:

Mukesh Verma, Adv.
Chamber No. 50, Supreme Court of
India, New Delhi
9810108098
Email Id. mvermadv@gmail.com



Oathed by Deponent before
me and Conncalled by Advnocate
Mr.

.....
Raja Ram Advocate
Notary Govt. of U.P. Chandigarh

13/12/08

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद चन्दौली

पत्रांक: 826 / एस०टी० / 2024

दिनांक: 16 अप्रैल, 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

महोदय,

नायब तहसीलदार, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली अपनी आख्या दिनांक 10.04.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 09.04.2024 को चलाये गये प्रवर्तन अभियान के दौरान तहसील के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध खनन/परिहन कर रहे वाहनों को पकड़ा गया जिसका विवरण इस प्रकार है—

1. कोतवाली मुगलसराय में सुपुर्द वाहन
 - (1) जे०सी०बी० वाहन— चेचिस नं० HAR30YSSAZ8071312
 - (2) सोनालिका ट्रैक्टर— चेचिस नं० HZQSG747835SN
 - (3) पॉवर ट्रैक ट्रैक्टर— चेचिस नं० T053679866HN
 - (4) ट्रैक्टर— चेचिस नं० T053550541BK
D10683010
D10683040
D104365108
अतीनगर D10926200
2. कोतवाली मुमलसराय में सुपुर्द वाहन
 - (1) ट्रैक्टर— चेचिस नं० 102085508
D02085508

उक्त वाहनों को अग्रिम कार्यवाही तक सम्बन्धित थानों को सुपुर्द किया गया।

आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर
जनपद चन्दौली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।
(खनिज अनुभाग)

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आवास विकास आफिस काम्पलेक्स,
जवाहर नगर, भेलुपुर, वाराणसी।

पत्रांक: 170 / तीस-उपखनिज / 2025-26

दिनांक 29 दिसम्बर, 2025

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० न०-603/2024, न्युज आइटम टाइटल्ड अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जे०सी०बी० समेत 09 ट्रैक्टर-ट्राली किये गये है सीज "appearin in chandaulisamachar.com Dated 13.04.2024 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-एच.30919/सी०-6/सा०-895/ओ०ए० न०-603/2024 वाराणसी/2025 दिनांक 31.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से सम्बन्धित प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा सन्दर्भित ओ०ए० में पारित आदेश दिनांक 04.07.2025 के अनुपालन में प्रश्नत प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा जब्त की गयी जे०सी०बी० एवं ट्रैक्टर के सम्बन्ध में की गयी अग्रेतर कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी प०दी०द०उ० नगर के पत्र संख्या 826/एस०टी०/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 09-04-2024 को चलाये गये प्रवर्तन अभियान के दौरान तहसील के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध खनन/परिवहन कर रहे वाहनों को पकड़कर सम्बन्धित थानों में सुपुर्द किया गया है। जिसके क्रम में थाना-मुगलसराय अन्तर्गत पुलिस चौकी शिवाला चौकी में बन्द 04 वाहनों पर खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी है। जिसके अन्तर्गत 04 वाहनों (01 जे०सी०बी० एवं 03 ट्रैक्टर) का मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली के आदेश पर मा० न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली में परिवाद दाखिल कर दिया गया है। वाहनों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	वाहन संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन स्वामी का पता
1	T053679866HM	श्री अनिल यादव पुत्र श्री लालमन यादव	नि० ग्राम-कुण्डा खुर्द थाना-मुगलसराय, तहसील-प०दी०द०उ० नगर जनपद-चन्दौली।
2	UP 63 AF 9535 Ch.No. HZQSG747835SM	श्री मन्ती देवी पत्नी श्री कृष्णानन्द	नि० गा०-सुसमी थाना-चुनार जनपद-मिर्जापुर
3	UP 67 AF 2025 Ch No. T053550541BK	श्री संतरा देवी पत्नी श्री लालमन यादव	नि० ग्राम-कुण्डा खुर्द थाना-मुगलसराय, तहसील-प०दी०द०उ० नगर
4	UP 67 AT 3483 (HAR3DXSSA02807131)	श्री लालमन यादव पुत्र श्री फूलचन्द्र	नि० ग्राम-कुण्डा खुर्द थाना-मुगलसराय, तहसील-प०दी०द०उ० नगर

उक्त के अतिरिक्त अवैध खनन के सम्बन्ध में संयुक्त जांच आख्या दिनांक 25.06.2024 इस पत्र के संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

खान अधिकारी,
चन्दौली।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- 1. जिलाधिकारी महोदय चन्दौली को सादर सूचनार्थ।

2. अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) चन्दौली को सादर सूचनार्थ।


खान अधिकारी,
चन्दौली।

कार्यालय ज्ञाप

उपजिलाधिकारी प0दी0द0उ0 नगर के पत्र संख्या 826/एस0टी0/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 09-04-2024 को चलाये गये प्रवर्तन अभियान के दौरान तहसील के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध खनन/परिवहन कर रहे 09 ट्रैक्टर एवं 01 जे0सी0बी0 को पकड़कर थाना-मुगलसराय व थाना-अलीनगर की सुपुर्द किया गया है। जिसके क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 न0-603/2024, न्युज आइटम टाइटल्ड अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जे0सी0बी0 समेत 09 ट्रैक्टर-ट्राली किये गये है सीज "appearin in chandaulisamachar.com Dated 13.04.2024 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 में कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने हेतु आदेश प्रदान किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में संयुक्त जांच दिनांक 25.06.2024 को जांच के दौरान थाना-मुगलसराय अन्तर्गत शिवाला चौकी में 03 ट्रैक्टर एवं 01 जे0सी0बी0 पर कार्यवाही की गयी। जिसके सम्बन्ध में उक्त सूचना से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को अवगत करा दिया गया है।

शेष वाहनों पर ना तो कार्यवाही की गयी है एवं न ही इस सम्बन्ध में कोई सूचना मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को उपलब्ध करायी गयी है, जो अत्यंत गंभीर प्रकरण है। चूंकि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से सम्बन्धित होने के कारण प्रकरण में की गयी कार्यवाही की आख्या से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ससमय अवगत कराया जाना है।

अतः प्रकरण अत्यधिक संवेदनशील तथा समयबद्ध होने के कारण शेष वाहनों की जांच के सम्बन्ध में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है।

- | | |
|---|---------|
| 1. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), चन्दौली। | अध्यक्ष |
| 2. उपजिलाधिकारी, प0दी0द0उ0 नगर। | सदस्य |
| 3. पुलिस क्षेत्राधिकारी, प0दी0द0उ0 नगर। | सदस्य |
| 4. सहायक सम्भागीय परिवहन, अधिकारी, चन्दौली। | सदस्य |
| 5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी। | सदस्य |
| 6. खान अधिकारी, चन्दौली। | सदस्य |

उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये 03 कार्यदिवस के अन्दर कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि सूचना मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ससमय उपलब्ध करायी जा सके।


जिलाधिकारी,
चन्दौली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

(खनिज अनुभाग)

संख्या: 173 / तीस-उपखनिज/2025-26

दिनांक 02/01 /2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), चन्दौली।
2. अपर जिलाधिकारी न्यायिक, चन्दौली।
3. उपजिलाधिकारी, प0दी0द0उ0 नगर
4. पुलिस क्षेत्राधिकारी, सदर। प०दी०द०उ० नगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
6. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, चन्दौली।
7. खान अधिकारी, चन्दौली।


जिलाधिकारी,
चन्दौली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।
(खनिज अनुभाग)

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आवास विकास आफिस काम्पलेक्स,
जवाहर नगर, भेलुपुर, वाराणसी।

पत्रांक: 180 / तीस-उपखनिज / 2025-26

दिनांक 09 जनवरी, 2025

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० न०-603/2024, न्युज आइटम टाइटल्ड अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जे०सी०वी० समेत 09 ट्रैक्टर-ट्राली किये गये हैं सीज "appearin in chandaulisamachar.com Dated 13.04.2024 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया अपने पत्र संख्या-एच.30919/सी०-6/सा०-895/ओ०ए० न०-603/2024 वाराणसी/2025 दिनांक 31.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से सम्बन्धित प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा सन्दर्भित ओ०ए० में पारित आदेश दिनांक 04.07.2025 के अनुपालन में प्रश्नित प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा जक्त की गयी जे०सी०वी० एवं ट्रैक्टर के सम्बन्ध में की गयी अग्रेतर कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-170/तीस-उपखनिज/2025-26 दिनांक 29-12-2025 द्वारा 01 जे०सी०वी० एवं 03 ट्रैक्टर का विवरण उपलब्ध करा दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न) शेष वाहनों का सम्बन्धित थानों से आख्या प्राप्त होने के उपरान्त का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	वाहन संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन स्वामी का पता
1	WXTE30427141138 रजि० नं० UP65CA 2066	विजेन्द्र यादव पुत्र श्री लल्लु यादव	नि०ग्राम-चतुर्भुजपुर मुगलसराय जनपद-चन्दौली।
2	T053393846CG रजि० नं० UP67X 7756	सिकन्दर प्रताप यादव पुत्र श्री गंगा यादव	नि० ग्राम-सरसर पो०-आलमपुर तह०-सकलडीहा जनपद-चन्दौली।
3	T053383268AG रजि० नं० P67X 5457	सुनिल कुमार राय पुत्र श्री रामचन्द्र	नि० ग्राम-हिनौली थाना मुगलसराय, जनपद-चन्दौली।
4	RFBH02657 रजि० नं० UP67N 0467	श्री जिउत पुत्र श्री रामधारी	नि०-147 बहादुरपुर थाना-मुगलसराय, जनपद-चन्दौली।
5.	UP 67 AF 6264 CH. NO-AA2061514641	श्री राकेश पुत्र प्यारेलाल	नि० ग्राम-वरहुली, जन्सो की मड़ई जनपद-चन्दौली।

रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


खान अधिकारी,
चन्दौली।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ।

1. जिलाधिकारी महोदय चन्दौली को सादर सूचनाार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) चन्दौली को सादर सूचनाार्थ।


खान अधिकारी,
चन्दौली।

संयुक्त जांच आख्या

कार्यालय ज्ञाप संख्या-173/तीस-उपखनिज/2025-26 दिनांक 02-01-2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपजिलाधिकारी प0 दीनदयाल उपाध्याय नगर के पत्र संख्या-826/एस0टी0/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा दिनांक 09.04.2024 को चलाये गये प्रवर्तन अभियान के दौरान तहसील-प0दी0द0उ0 नगर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध खनन/परिवहन कर रहे 09 ट्रैक्टर एवं 01 जे0सी0बी0 को पकड़कर थाना-मुगलसराय एवं अलीनगर की सुपर्दगी में दिया गया है। जिसके क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-603/2024, न्युज आईटम टाइटल्ड अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही जे0सी0बी0 समेत 09 ट्रैक्टर ट्राली किये गये है सीज' appearing in chandaulisamachar.com dated 13.04.2024 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 में कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने हेतु आदेश प्रदान किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में संयुक्त जांच दिनांक 25.06.2024 को जांच के दौरान थाना-मुगलसराय अन्तर्गत शिवाला चौकी 03 ट्रैक्टर एवं 01 जे0सी0बी0 पर कार्यवाही की गयी। जिसके सम्बन्ध में उक्त सूचना से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को अवगत करा दिया गया है। शेष वाहनों के सम्बन्ध में जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित प्रकरण में थाना-मुगलसराय व थाना-अलीनगर से प्राप्त आख्या के आधार पर उपजिलाधिकारी, प0दी0द0उ0 नगर द्वारा आख्या दिनांक 09-01-2026 को प्राप्त की गयी, आख्या निम्नवत् है:-

1. थाना-मुगलसराय चन्दौली की आख्या-दिनांक 10.04.2024 को एक अदद जेसीवी HAR3DXSSA028071312 व तीन अदद ट्रैक्टर 1. पावरट्रैक चेचिस न0-T053679866HN 2 सोनालिका चेचिस न0-HZQSG747835SN 3. पावरट्रैक चेचिस न0-T053550541BK चौकी शिवाला थाना-मुगलसराय, जनपद-चन्दौली पर उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार सिंह की सुपर्दगी में नायब तहसीलदार महोदय द्वारा अवैध खनन पकड़े जाने पर खड़ा कराया गया था जिसे मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिकम जिस्ट्रेट, चन्दौली द्वारा रिलीज किया जा चुका है। जिसकी प्रति संलग्न है। दिनांक 10.04.2024 को नायब तहसीलदार महोदय द्वारा अवैध खनन कर रहे चार अदद ट्रैक्टर मय ट्राली 1. WXTE30427141138 रजि0 नं0 UP65CA 2066 2. T053393846CG रजि0 नं0 UP67X 7756 3. T053383268AG रजि0 नं0 UP67X 5457 4. RFBH02657 रजि0 नं0 UP67N 0467 को कब्जे में क्षेत्रीय लेखपाल बेचुपुर श्री अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा थाना मुगलसराय की सुपर्दगी में दिया गया जो थाने पर खड़ी है।
2. थाना-अलीनगर, चन्दौली की आख्या-दिनांक 10.04.2024 को नायब तहसीलदार, प0दी0द0उ0 नगरचन्दौली द्वारा चलाये गये प्रवर्तन अभियान के दौरान अवैध खनन में दौं ट्रैक्टर दाखिल नहीं किया था, जबकि एक अदद ट्रैक्टर जिसके लगा हुआ पावर ट्रैक्टर था, जिसका चेचिरा संख्या-102085508 व D-10678530 को थाना हाजा पर अवैध खनन में सुपर्द किया गया था, जबकि ट्रैक्टर का चेचिस नम्बर व ईन्जन नम्बर गलत है। उक्त दाखिलशुदा ट्रैक्टर का वास्तविक नम्बर UP 67 AF 6264 जिसका चेचिस नम्बर AA2061514641 व ईन्जन नम्बर-T053567235EK मय रैपर का सही था, जो माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली महोदय के आदेश संख्या-12546/2024 के आदेश द्वारा दिनांक 22-07-2024 को रिलीज आदेश प्राप्त है। के अनुपालन में दिनांक 22-07-2024 को वाहन स्वामी को अवमुक्त किया जा चुका है।

उक्त जांच आख्या के क्रम में संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10.04.2024 को दाखिल शेष ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों में खड़े वाहनों का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाये गये ट्रैक्टरों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	वाहन स्वामी का नाम व पता	चेचिस संख्या व वाहन संख्या	थाना का नाम
1	विजेन्द्र यादव पुत्र श्री लल्लु यादव नि0ग्राम-वतुमुजपुर मुगलसराय जनपद-चन्दौली।	WXTE30427141138 रजि0 नं0 UP65CA 2066	मुगलसराय

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


2	सिकन्दर प्रताप यादव पुत्र श्री गंगा यादव नि० ग्राम-सरेसर पो०-आलमपुर तह०-सकलडीहा जनपद-चन्दौली।	T053393846CG रजि० नं० UP67X 7756	मुगलसराय
3	सुनिल कुमार राय पुत्र श्री रामचन्द्र नि० ग्राम-हिनौली थाना मुगलसराय, जनपद-चन्दौली।	T053383268AG रजि० नं० P67X 5457	मुगलसराय
4	श्री जिउत पुत्र श्री रामधारी नि०-147 बहादुरपुर थाना-मुगलसराय, जनपद-चन्दौली।	RFBH02657 रजि० नं० UP67N 0467	मुगलसराय

उक्त जांच के क्रम में खान अधिकारी के द्वारा उपरोक्त वाहन स्वामियों द्वारा नियमानुसार अर्थदण्ड की धनराशि जमा करा ली गयी है। तथा कार्यालय पत्रांक 180/तीस-उपखनिज/2025-26 दिनांक 09.01.2026 के माध्यम से उपरोक्त वाहनों का विवरण क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित।



खान अधिकारी,
चन्दौली।



क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
वाराणसी।



सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
चन्दौली।



पुलिस क्षेत्राधिकारी,
प०दी०द०उ० नगर।



उपजिलाधिकारी,
प०दी०द०उ० नगर।



अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),
चन्दौली।